न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या:—04/2017 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस. संख्या:—2017/00170

उनवान

1. परमात्या पुत्र प्रभू
2. बाबूलाल पुत्र प्रभू
3. रामअवतार पुत्र केदार
4. बन्टी पुत्र केदार
5. मु0 बुद्दो बेवा केदार
6. मु0 मन्जू पुत्री केदार
7. मु0 फोरन्ती पुत्री केदार

समस्त जातियान माली निवासी रघुनाथपुरा तहसील नादौती जिला करौली।

...अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली जिला करौली
2. तहसीलदार जी तहसील नादौती जिला करौली राजस्थान।
3. मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज विराजमान ग्राम गुढाचन्द्रजी जरिये सेवायत श्री मोहन लाल पुत्र श्री राधे ब्राहम्ण निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली राजस्थान।
4. मूर्ति हनुमान जी महाराज जरिये वाद मित्र मानसिंह पुत्र सांवलिया जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील नादौती जिला करौली राजस्थान।

....रेस्पोडेन्ट्स।

उपस्थित:—

1. श्री अशोक कुमार नीमनका अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री रमेशचन्द गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 04।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified

दिनांक: 14.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible] नादौती जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 171/20[illegible] [illegible] राजस्थान सरकार [illegible]

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र मातहत अदालत के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 1339 व 1340 किता 2 रकवा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनसे मौजूदा ख0नं0 5036 5037, 5038 व 5041 किता 4 रकवा 61 ऐयर कायम किया है। यह साविक के अनुसार सही नहीं है। नक्शा सीट साविक के अनुसार दुरुस्त फरमाई जाये। रेवन्यू रिकोर्ड में ख0न0 5037 में 2 ऐयर रकबा बढ़ाया जाकर 9 ऐयर कायम किया जाये। प्रतिवादी नं0 3 की खातेदारी के साबिक ख०न० 1308, 1341, व 1342 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा के बराबर मौजूदा ख0नं0 4931 4932, 4905, 4906, 4907, 5033 किता 6 रकवा 63 ऐयर स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी की मौजूदा सीट साबिक के मुताबिक दुरूस्त फरमाई जाये रकवा 63 ऐयर के स्थान पर 48 ऐयर कायम किया जाये। समस्त रेवन्यू रिकोर्ड में सीट मौजूदा जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल तरमीम कर रेवन्यू रिकोर्ड का इन्द्राज दुरूस्त फरमाने की डिक्री पारित की जावे तथा दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 5036, 5037 5038 व 5041 किता 4 रकवा 61 ऐयर के स्थान पर 63 ऐयर स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती के रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे, उक्त खसरा नम्बर के कब्जे काश्त वादीगण में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। मातहत अदालत ने दिनांक 23.11.2016 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का दावा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत में प्रतिवादीगण नंबर 01 व 02 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया है वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा सं003 में अंकित साबिक खातेदारी दाउजी 1 बीघा 18 बिस्वा के स्थान पर मौंजूदा 63 ऐयर गलत तरमीम की है क्योकि साबिक के मुताबिक महज 48 ऐयर रकबा होना चाहिये, जिसका प्रतिवादीगण नंबर 01 व 02 द्वारा सीट नक्शा व रिकार्ड सही होना जवाब में अंकित किया है, मगर यह कैसे संभव है 1 बीघा 18 बिस्वा से 63 ऐयर किस प्रकार तरमीम किया गया, यानि जवाब प्राईमाफेसी गलत है, प्रतिवादीगण सं0 04 का जवाब कतई तर्क संगत नही है, तथाकथित हनुमानजी मंदिर मौजूदा खसरा नंबर 4934 से बना है, जो वादीगण अपीलांटस् की जमीन से तथा रास्ता की जमीन खसरा नंबर 4932 के उत्तर पूर्व में बना है, मंदिर व रास्ते का कोई [illegible] नहीं है, विवाद मौजूदा व साविक सीट दुरूस्ती मिलान क्षेत्रफल [illegible] रकबा पूर्ति का है, जो रेवेन्यू रिकार्ड से भंली प्रकार साबित है, इसलिये [illegible] मातहत द्वारा रेवेन्यू

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड को नजर अन्दाज फरमा कर आदेश पारित किया है जो कि अपास्त योग्य है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.11.2016 अपास्त फरमाया जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

4. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत के आदेश के बाबत अपीलांट को उनके वकील साहब से कार्य की व्यस्तता के कारण सम्पर्क नही होने के कारण दिनांक 06.01.2017 को आदेश का इल्म होते ही नकल आदेश दिनांक 19.01.2017 को प्राप्त हुयी है। इसके बाद का समय कानूनी सलाह मशवरा में लगा और अपील इल्म जल्द से जल्द पेश की गई है। न्यायाहित में अपीलांट को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाया जावें।

5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुइ देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

8. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

9. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 04 जो मंदिर हनुमानजी का फर्जी सेवायत बनकर मुकदमा में पार्टी बना है, गुर्जर जाति से है, वह दाउजी की रास्ते की व वादीगण की जमीन को हडपने की गरज से मौजूदा खसरा नबर 5[illegible]37 के बीच में खसरा नंबर 4933 की गूणी की जगह चाह को [illegible] कर स्वयं के खसरा नंबर 5039 से शामिल करना चाहता है [illegible] लिए उसने सेटलमेंट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

साज कर वादीगण का रकबा कम करवाया है, सीट गलत बनवा दी है, मिलान क्षेत्रफल गलत बनवा दिया है, और रास्ते का विवाद बनाकर वादीगण की खातेदारी की जमीनों को जबर हडपेन पर आमदा है, जिसे दौराने वह वादीगण द्वारा अदालत मातहत को भली प्रकार अर्ज कर दिया है, मगर वादीगण की प्लीडिंग दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज फरमा कर कतई गलत आदेश फरमा दिया गया जो कि निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.11.2016 अपास्त फरमाया जावें।

10. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 04 ने कथन किया कि सेटलमेंट विभाग ने सही तरीके से कब्जे की जांच करते हुए सही तरीके से रकबा कायम किया है, एवं सही तरीके से सीट कायम की है, एवं हाल रकबे के अनुसार ही मौके पर काबिज है, एवं भूमि पर करीब 200 वर्ष से ही हनुमान जी महाराज का रियासत काल से मंदिर बना हुआ है, एवं खसरा नंबर 5037 आम रास्ता की भूमि है जिस पर आम रास्ता बना हुआ है, एवं मंदिर से निकलने का रास्ता बना हुआ है। खसरा नंबर 4934 पर मंदिर बना हुआ है। मातहत अदालत के निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई दोष नही है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

11. पैरोकार सरकार ने जवाब बहस में कथन किया कि मंदिर दाउजी की भूमिगत रिक़ार्ड व नक्शा के मुताबिक ही सेटलमेंट द्वारा हाल रिकार्ड उल्लेख खसरा नंबर 5053, 4931, 4932, 4905, 4906, 4907 सेटलमेंट द्वारा बनाया गया रिकार्ड नक्शा सही है। मंदिर भूमि हाल रिकार्ड भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया हुआ सही है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सही है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

12. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

13. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि संवत् जमाबंदी 2062–2065 वाके ग्राम व पटवार हल्का गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती अनुसार खसरा नंबर 5036 रकबा 0.29 है0, 5037 रकबा 0.07 है0, 5038 करबा 0.16 है0, 5041 रकबा 0.29 है0 सहित कुल किता 8 कुल रकबा 1.63 एयर के परभात्या, केदार, बाबूलाल पिसरान प्रभू प्रत्येक का हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार खसरा नंबर 4931 रकबा 3 ऐयर, 4932 रकबा 22 ऐयर, 4934 रकबा 1.04 है0, 5033 रकबा 12 एयर श्री दाउजी महाराज सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवादित आराजीयात की साबिक व हाल खसरा नंबर की तालिका निम्नानुसार है:-

साबिक खसरा नं०	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा	कम या अधिक
1339	01 बीघा 12 बिस्वा	5036 5041	29 एयर	3 कम 2 एयर कम
1308	10 बिस्वा	5033	12 एयर	15 एयर अधिक
1341	01 बीघा 7 बिस्वा	4932 4931	22 एयर 3 एयर	
1342	01 बिस्वा	4905 4906 4907	15 एयर 3 एयर 8 एयर	

तरमीम व नक्शा सीट साबिक व हाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1339 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा के 40 एयर कायम किया जाना चाहिए परन्तु इसके हाल खसरा नंबर 5036 के 29 एयर ही कायम किया है इस प्रकार 11 एयर रकबा कम दर्शाया है। यदि 5041 को भी 1339 से बनना माने तो भी 2 एयर रकबा कम कायम किया है। नक्शा सीट के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि साबिक खसरा नंबर 1339 की नक्शा सीट में पूर्व पश्चिम की लम्बाई 2.6 सेमी है परन्तु हाल सीट नंबर 1.8 सेमी ही कर दी गई है जो कम की गई है। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 1340 रकबा 18 एयर के हाल खसरा नंबर 5037 व 5038 कुल रकबा 23 एयर तो सही कायम किया गया है परन्तु हाल मौजूदा सीट में तरमीम 3.0 सेमी की जगह 2.4 सेमी कर कम की गई है।

दाउजी महाराज विराजमान ग्राम गुढाचन्द्रजी की खातेदारी में वर्तमान में मौजूदा खसरा नंबर 5033 रकबा 12 एयर खसरा नंबर 4932 रकबा 22 एयर 4931 रकबा 3 एयर गैरनुमकिन चाह खसरा नंबर 4905 रकाब 15 एयर खसरा नंबर 4906 रकबा 3 एयर खसरा नंबर 4907 रकबा 8 एयर कुल किता 6 कुल रकबा 63 एयर कायम किया है। साबिक के मुताबिक 1 बीघा 18 बिस्वा के बराबर यानि 48 एयर रकबा होना चाहिये। इस प्रकार साबिक से हाल खसरा नंबर में रकबा 15 एयर बढा दिया। जो कि रिकार्ड के अवलोकन से बखूबी स्पष्ट है।

14. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.1[illegible] को अपास्त किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 1339 व 1340 [illegible] 10 बिस्वा जिस से की मौजूदा खसरा नंबर 5036, 5037, 5038 व 5041 किता [illegible] रकबा 81 एयर कायम किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। यह साबिक के अनुसार सही नहीं है। नक्शा सीट साबिक के अनुसार दुरुस्त फरमाई जावे। रेवन्यू रिकोर्ड मे ख0नं0 5037 मे 2 ऐयर रकबा गलत पूर्ति अंकित बढ़ाया जाकर 9 ऐयर कायम किया जावे एवं तदनुसार हाल नक्शे मे तरमीम की जावे। प्रतिवादी नं0 3 की खातेदारी के साबिक ख0नं0 1308, 1341, व 1342 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के बराबर मौजूदा ख0नं0 4931 4932, 4905, 4906, 4907, 5033 किता 6 रकबा 63 ऐयर स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी की मौजूदा सीट साबिक के मुताबिक दुरुस्त फरमाई जावे रकबा 63 ऐयर के स्थान पर 48 ऐयर कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को इस प्रकार जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 5036, 5037 5038 व 5041 किता 4 रकबा 61 ऐयर के स्थान पर 63 ऐयर स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती के रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे, उक्त खसरा नम्बर के वादीगण कब्जे काश्त मे कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

15. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 14.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा) 16/02/23
सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner